कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी17–18 दिनांक 31.08.2017 द्वारा किया गया। उक्त आदेश में क्रम सं 170, वरिष्ठता क्रमांक 1219, श्रीमति मनदीप कौर, प्र.अ. रामावि फथूई, गंगानगर को जरिए काउन्सलिंग उनकी सहमति से राउमावि, रातडिया–पोकरण, जैसलमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया।

उक्त पदौन्नत कार्मिक ने स्वयं से निम्न वरिष्ठता क्रमांक 1265 पर अंकित श्रीमति किरण गहलोत, प्र.अ. रामावि 19 एनपी गंगानगर को आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17–18/2017 दिनांक 08.09.2017 द्वारा उनके गृह जिले गंगानगर में पदस्थापित किये जाने एवं स्वयं के गृह जिले में पदस्थापन हेतु विभाग के समक्ष की गई अपनी परिवेदना पर सुनवाई नहीं होने से व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 18310/2017 दायर की जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.10.2017 द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण मानिका मील बनाम उप निदेशक–माध्यमिक शिक्षा जयपुर व अन्य याचिका संख्या 15668/12 के निर्णय का हवाला देते हुए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं अप्रार्थीगण को अभ्यावेदन मय निर्णय प्रति पेश किये जाने की स्थिति में उसे चार सप्ताह में आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के आदेश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पति के केन्द्रीय विद्यालय लालगढ जाटान, श्रीगंगानगर में कार्यरत होने, याचिकार्थी की चार वर्षीय पुत्री एवं सास के पूर्णतया उन पर आश्रित होने व स्वयं के पदस्थापन स्थान के अत्यधिक दूर होने की स्थिति का हवाला देते हुए अपना पदस्थापन अपने गृह जिले गंगानगर में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर अथवा राबाउमावि नं–2, पुरानी आबादी, गंगानगर या राउमावि जोधेवाला, गंगानगर में करने की परिवेदना की गई।

प्रार्थी के अभ्यावेदन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया एवं माननीय न्यायालय के पूर्व निर्णीत प्रकरण याचिका संख्या 15668/12 मोनिका मील बनाम उपनिदेशक–माध्यमिक जयपुर का अवलोकन किया गया। मोनिका मील का प्रकरण तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समायोजन से सम्बन्धित है और माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में भी मात्र अभ्यावेदन निस्तारण के ही आदेश दिये गये थे।

याचिकार्थी को महिला वर्ग का लाभ पूर्व में दिया जाकर ही वरिष्ठतानुसार उनकी काउन्सलिंग की गई थी और उनकी स्वयं की सहमति के आधार पर ही विभाग द्वारा उनका पदस्थापन किया गया था। याचिकार्थी की काउन्सलिंग के समय गंगानगर जिले में कोई पद स्पष्ट रिक्त नहीं होने की स्थिति में उनके द्वारा विकल्प पत्र में चयनित स्थान राउमावि रातडिया पोकरण जैसलमेर में उनका पदस्थापन कर दिया गया। जहां तक श्रीमति किरण गहलोत को गृह जिले में पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, तो श्रीमति गहलोत द्वारा काउन्सलिंग के समय सहमति पत्र में अंकित विद्यालय में उनका पदस्थापन किये जाने की स्थिति में दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी जिसके कारण उनके पदस्थापन आदेश तत्समय जारी नहीं किये गये। तत्पश्चात् श्रीमति किरण गहलोत द्वारा दिनांक 08.09.17 को पुनः विकल्प पत्र पेश किये जाने और उनके गृह जिले गंगानगर में तत्समय राउमावि कीकरावाली में प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने और उनके द्वारा विकल्प पत्र में उक्त स्थान का चयन किये जाने के फलस्वरूप उनको उक्त विद्यालय में पदस्थापित कर दिया गया।

प्रार्थी द्वारा चाहे गए उपर्युक्त जिशिअ कार्यालय एवं कतिपय विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद स्पष्ट रूप से रिक्त नहीं है। याचिकार्थी द्वारा धारित पद राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी का पद है और राज्य एवं लोकहित में उनका पदस्थापन राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। प्रार्थी के सम्बन्ध में ऐसी कोई विकट शारीरिक/पारिवारिक परिस्थिति प्रतीत नहीं होती जिसके आधार पर इनके अभ्यावेदन पर विचार किया जाकर इनके पदस्थापन

स्थान में संशोधन किया जावे। उपर्युक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी **श्रीमति मनदीप कौर प्रधानाचार्या राउमावि रातडिया–पोकरण जैसलमेर का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/याचिका/18310/2017 दिनांक 23.02.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा , राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जैसलमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी
7. निजी/रक्षित पत्रावली
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)